न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 15 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट

1. बंशीलाल पुत्र जवानमल जाति जटिया निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1. नोनगाराम पुत्र मंगलाराम जाति प्रजापत निवासी खेड़ तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा के राजस्व आवेदन संख्या 207 / 2019 में आदेश दिनांक 19.02.2020 के विरूद्व पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 11.08.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी नोनगाराम ने अपने खेत खसरा संख्या 573 / 274 रकबा 37.15 बीघा मौजा खेड़ तहसील पचपदरा की भूमि पर अपने सेढा पाडोसी विप्रार्थी बंशीलाल की भूमि पर अपने सेढा के खेत खसरा संख्या 891 / 305 रकबा 15 बीघा ग्राम खेड़ के नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल वाला भू–भाग नया रास्ता खुलवाने हेतु मांग की है जो अपीलांट की खातेदारी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही हस्तगत प्रकरण में रास्ता निकालने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि को दो भागो में विभक्त कर भूमि की उपयोगिता नष्ट कर दी। उतरदाता के पास स्वयं की भूमि के सेढासेढ रास्ता विद्यमान था लेकिन अपीलांट को नुकसान पंहुचाने की नियत से अपीलाधीन रास्ते की मांग की गई। रेस्पोडेंट नोनगाराम ने गलत तरीके से अपीलांट के खातेदारी खेत में से रास्ता मांगा है। अपीलांट को अंधेरे में रखकर उसके हितो पर विपरीत प्रभाव पड़ा है तथा वास्तविकता को छिपाया गया है। अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलांट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। प्रार्थी / रेस्पोडेंट

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

को अपने खेत खसरा संख्या 573/274 में आने–जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के खेत खसरा संख्या 891/305 में से रास्ता काट कर कानूनी भूल की है। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि को दो भागो में विभक्त कर भूमि की उपयोगिता नष्ट कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 573/274 में जाने के लिए इस प्रदत्त रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 नोनगाराम द्वारा चाहा गया रास्ता अकेले अपीलांट के खेत में से होकर नहीं है। यह रास्ता कई खेतों की सीमा पर कायम किया हुआ है। इस रास्ते की अविच्छिन्नता (Continuity) के लिए कुछ खातेदारों ने अपनी अभिधृति का राज्य हक में समर्पण किया जिससे राजकीय सिवायचक दर्ज भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग ली जा सके इसी लोकहित वाले रास्ते में मात्र 0.02 बिस्वा भूमि अपीलांट की भी शामिल है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से कटाण रास्ता घोषित की है। यदि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तो सार्वजनिक हित प्रभावित होकर मात्र प्रतिवादी संख्या 01 (प्रार्थी) का ही रास्ता अवरूद्ध नहीं होगा बल्कि इस रास्ते की अविच्छिन्नता (Continuity) टूट जाएगी है और इसका सार्वजनिक उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस मौका फैर्द को आधार मानकर निर्णय दिया है उसके अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि मौके पर खेत खसरा संख्या 573/274 रकबा 37.15 बीघा के खेत से लगता हुआ ग्रेवल रास्ता खसरा संख्या 594/274, 742/274, 646/274, 1888/274, 618/274, 598/274, 1941/274, 612/274, 601/274 बना हुआ है, जो कि संलग्न नक्शे में बी. से सी. बिन्दु तक दर्शित है। मौके पर खेड़ से पचपदरा जाने वाली डामर सड़क से खेत खसरा संख्या 891/305 से ग्रेवल रास्ता को जोड़ने

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

जाने वाला मार्ग वर्तमान में बंद है।" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत रास्ते के लिए महत्वपूर्ण दो बिंदुओं पर निर्धारण करना वांछित है:–

प्रथम रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता हो, द्वितीय वैकल्पिक रास्ता न हो। प्रस्तुत प्रकरण में बहुउपयोगी जनहिताय सुगम आवागमन हेतु रेस्पोडेंट/प्रार्थी एवं अन्यों को भी रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता एवं सर्वोतम विकल्प रूप में चयनित भूमि को रास्ते हेतु कटान किये जाने के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अपीलांट पक्ष द्वारा इंगित त्रुटि कि प्रदत रास्ते से उनकी भूमि दो भागों में विभक्त हो रही है। इसका न्यायालय हाजा द्वारा समुचित और युक्तियुक्त हल अपीलांट के पुत्र भरत जायेल को इस प्रकार सुजाया गया कि "उनके खेत की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे यह रास्ता दिया जा सकता है।" इस प्रस्ताव को भी अपीलांट पक्ष द्वारा सिरे से खारिज करते हुए नकार दिया। अपीलांट पक्ष की मंशा रेस्पोडेंट को रास्ता दिये जाने के अधिकार से वंचित रखना है। **अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है, और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं।** अपीलांट के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है।

उपरोक्त विवेचन और तथ्यों के विश्लेषण के आलोक में रेस्पोडेंट को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है और प्रदत्त रास्ता लघुतम दूरी वाला है। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से रेस्पोडेंटस को रास्ता देने के संबंध में अपीलाधीन आदेश पूर्णतया वैधानिक एवं युक्तियुक्त होने से अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 207/2019 बअनवान नोनगाराम बनाम बंशीलाल में पारित आदेश दिनांक 19.02.2020 को यथावत रखा जाता है।

11/8/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 11.08.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/8/2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner